

## जब आप मदद के लिए संपर्क करते हैं

### हॉटलाइन आपकी निम्नलिखित चीज़ों में मदद कर सकती है:

- नफरती अपराध और भेदभाव संबंधी घटना के बीच का अंतर समझने में
- यह जानने में कि आपके लिए कौन-कौन से विकल्प और मदद के साधन उपलब्ध हैं
- अपने इलाके में ऐसी सेवाओं से जुड़ने में जो पीड़ितों की मदद पर ध्यान देती हैं, लोगों की संस्कृति को समझती हैं और आघात झेल चुके लोगों की संवेदनशीलता के साथ मदद करती हैं

चाहे ऐसी घटना आपके साथ हुई हो या आपने इसे होते हुए देखा हो, आप कभी भी हॉटलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

## Hate Crimes & Bias Incidents Hotline से जुड़ी जानकारी

यह हॉटलाइन कोई आपातकालीन सेवा नहीं है, बल्कि यह जानकारी और सही जगह पर मदद पाने के लिए मार्गदर्शन देती है, ताकि नफरत या भेदभाव से जुड़ी घटनाओं से प्रभावित लोग सहायता प्राप्त कर सकें। यह हॉटलाइन कई भाषाओं में उपलब्ध है और आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाती है। यह हॉटलाइन केवल तभी पुलिस या कानून लागू करने वाली एजेंसियों से संपर्क करती है जब आप ऐसा चाहते हैं और आपकी अनुमति होती है।

### शिकायत करने का तरीका



855-225-1010  
[atg.wa.gov/report-hate](https://atg.wa.gov/report-hate)



आपका ऐसे व्यक्ति से संपर्क करवाया जाएगा जो आपकी भाषा बोलता हो।



Washington State Hate Crimes & Bias Incidents Hotline

## नफरती हमलों की शिकायत करें। सहायता प्राप्त करें।

नफरत और भेदभाव का लोगों, परिवारों और पूरे समुदाय पर सच में बुरा असर पड़ता है। Washington State Hate Crimes & Bias Incidents Hotline (नफरत और भेदभाव से जुड़ी घटनाओं के लिए वॉशिंगटन राज्य की हॉटलाइन) उन सभी लोगों की मदद के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने नफरत से जुड़ी घटना का सामना किया है या उसे होते हुए देखा है।

यह हॉटलाइन पूरे राज्य में **मुफ्त और गोपनीय** मदद देती है। आपके लिए यह जानना ज़रूरी नहीं है कि जो हुआ वह अपराध था या नहीं। हम आपके लिए उपलब्ध विकल्पों को समझने में मदद करेंगे।

### हॉटलाइन से संपर्क करें



855-225-1010  
[atg.wa.gov/report-hate](https://atg.wa.gov/report-hate)



कई भाषाओं में उपलब्ध है

यह हॉटलाइन गोपनीय और मुफ्त है और आपके इमिग्रेशन स्टेटस की परवाह किए बिना पूरे राज्य में उपलब्ध है। हम पुलिस नहीं हैं और आपकी अनुमति के बिना पुलिस को कोई जानकारी नहीं देते।

यह सेवा Washington State Office of the Attorney General (वॉशिंगटन राज्य के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय) द्वारा प्रदान की जाती है।

यह हॉटलाइन गोपनीय और मुफ्त है और आपके इमिग्रेशन स्टेटस की परवाह किए बिना पूरे राज्य में उपलब्ध है। हम पुलिस नहीं हैं और आपकी अनुमति के बिना पुलिस को कोई जानकारी नहीं देते।

यह सेवा Washington State Office of the Attorney General द्वारा प्रदान की जाती है।

# Washington State Hate Crimes & Bias Incidents Hotline



## नफरती अपराध क्या होता है?

वॉशिंगटन में कई तरह के नफरती अपराध हो सकते हैं। यह किसी व्यक्ति पर **जानबूझकर हमला करना, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना या हमला करने या संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की धमकी देना** हो सकता है।

**नफरती अपराध किसी व्यक्ति की असली या मानी गई पहचान के कारण किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:**

- जाति
- रंग
- धर्म
- वंश
- राष्ट्रीय मूल
- लिंग
- यौन रुझान
- लैंगिक अभिव्यक्ति या पहचान
- मानसिक, शारीरिक या संवेदी दिव्यांगता

**नफरती अपराध वॉशिंगटन में गंभीर माने जाते हैं** (Revised Code of Washington (RCW, वॉशिंगटन का संशोधित कोड) 9A.36.080)।

## भेदभाव संबंधी अपराध क्या होता है?

भेदभाव से जुड़ी घटना वह होती है जब किसी व्यक्ति के प्रति उसकी असली या मानी गई पहचान के कारण **नफरत या दुश्मनी दिखाई जाती है**, जैसे:

- जाति
- रंग
- धर्म या आस्था
- वंश
- राष्ट्रीय मूल
- नागरिकता या इमिग्रेशन स्टेटस
- लिंग
- सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त सैन्यकर्म या सैन्य सेवा की स्थिति के आधार पर
- यौन रुझान
- लैंगिक अभिव्यक्ति या पहचान
- संवेदी, मानसिक या शारीरिक दिव्यांगता
- प्रशिक्षित गाइड डॉग या सर्विस पशु का इस्तेमाल

**भेदभाव से जुड़ी घटना अपराध की तरह गंभीर नहीं होती।**

**इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:**

- किसी की असली या मानी गई पहचान के आधार पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना।
- नस्लभेदी या अपमानजनक तस्वीर बनाना।
- किसी की दिव्यांगता, सांस्कृतिक नियमों या रीति-रिवाजों का मज़ाक उड़ाना।